कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

& Fax No. 05965–230034
E-Mail : eechampawat@rediffmail.com
E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 260 / 2 [illegible]

दिनांक :– 27/ 01 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषयः– जनपद चम्पावत के धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग क कि0मी0 7.0 से क्वीड़ागॉव (दुबड़) तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/19093/2016)**

संदर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक** पत्रांक 8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 235 / 2016 / एफ0सी0 / 1336 दिनांक 6.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई आख्या का उत्तरालेख निम्नवत प्रारूप में भर कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:–

In the Perusal of the KML file it is seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval ,This can be considered as a violation of FCA 1980 further , the target villages can be easily connected from the end Point of the proposed alignment rather being the proposed starting Point. Hence the concerned DFO will ssubmit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.	खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0–7 से क्वीडागॉव (दुबड)मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दि0 25–4–2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय–समय पर उच्च स्तर से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है,वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से KMLफाईल में Existing Path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नही किया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तो का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नही किया गया है। शासनादेश में प्रस्तावित मार्ग धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 7.00 से क्वीड़ागॉव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है तदनुसार ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है जो कि अन्तिम विन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम विन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी, लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक विन्दु धूनाघाट–भिगराड़ा– रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0–7 से ही उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

सहायक अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत